प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, मैनपुरी, आगरा, झांसी, जालौन (उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर, फैजाबाद, अम्बेदकरनगर, बहराईच, गोण्डा ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक- 03अगस्त, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना-सामान्य) अनुदान संख्या-16

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर दुग्ध आयुक्त के पत्रांक-376/दुग्ध-4/नियो0/सुदृढ़ी0-सामान्य(229)/2018-19, दिनांक-31.07.2018 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि रू0 4150.00 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत की सीमा में शासनादेश संख्या-9/2018/643/53-2-18-2(119)/15, दिनांक 27 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 2075.00 लाख (रू0 बीस करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अत: संदर्भगत योजना की अवशेष धनराशि रू0 2075.00 लाख (रू0 बीस करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल **संलग्नक** के अनुसार स्वीकृत करते हुए सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/ उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण जिला योजना अनुश्रवण समिति से अनुमोदित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो उस ब्याज की राशि को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराये जाने का दायित्व विभाग का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु है। धनराशि का व्यय जिन कार्यों/मदों हेतु अनुमन्य है उसी प्रयोजन में व्यय किया जायेगा। किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से वहन करेंगे।

(5) परिव्यय की उपलब्धता विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण जिला योजना अनुश्रवण समिति से अनुमोदित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जायेगा। उक्त धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दुग्ध व्यवसाय को सुदृढ करने हेतु किया जायेगा तथा किसी भी दशा में अनुत्पादक मद में इसका व्यय/ उपयोग नहीं किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश / संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की समस्त वित्तीय स्वीकृतियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष के अंत तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा तथा योजनावार /जनपदवार एव जिला योजना समिति से परिव्यय प्राप्त कर लिया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखा शीर्षक-**'2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-04-वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अन्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान (जिला-योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) "** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-1-491/2018, दिनांक 03 अगस्त, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-19/2018/1252 (1)/53-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
8- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
9- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
11- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
12- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
13- सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0।
14- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी।
15- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in